जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 18.10.2024***

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी / जालसाजी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र झिनकान निवासी कुर्थिया रमवापुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 18.10.2024 को ब्लाक मेहदावल सोरनवरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. संतोष कुमार पुत्र झिनकान निवासी कुर्थिया रमवापुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, हे0का0 अजय कुमार सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता कृष्णा पुत्र छोटेलाल निवासी घेचुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, का0 दीपक कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 41 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 05 स्थानों पर लगवाये गये 35 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 18.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 05 स्थान पर 35 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 07 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 17 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना व विधि विरुद्ध दंगा करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 774/2024 धारा 125/298/191(2)/115(2)352 बी0एन0एस0 में वाँछित अभियुक्तो का नाम पता 01- रज्जाक अहमद पुत्र इद्रीश, 02- मो0 दानिस पुत्र रज्जाक निवासीगण केरमुआ माफी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को मेंहदावल वाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री विनय कुमार पुत्र राकेश जायसवाल ग्राम केरमुआ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा उक्त अभियुक्तगणो के विरुद्ध श्री राम जी के पताका (झंडा) को तोड़कर फेकना व मना करने पर मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-.

1. रज्जाक अहमद पुत्र इद्रीश निवासी केरमुआ माफी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

2. मो0 दानिस पुत्र रज्जाक समस्त निवासी केरमुआ माफी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 नुरुद्दीन खान, का0 राजू गौड़।